2020 आम चुनाव और जनमत संग्रह में मतदान से जुड़ी जानकारी की गाइड (पुस्तिका)।

ELECTORAL COMMISSION
TE KAITIAKI TAKE KŌWHIRI

E231 08/20 Hindi

2020 में मतदान के दौरान क्या-क्या हो सकता है और मतदान कैसे करें

सुनिश्चित करें कि आपका नामांकन होया हुआ है और दी गई जानकारी बिलकुल ताज़ा और सही है।

मतदान करने के लिए आपका नामांकन करवाना ज़रूरी है। अगर आप 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, न्यूज़ीलैंड नागरिक हैं या स्थाई निवासी हैं और आप पिछले 12 महीनों या उससे ज़्यादा समय से न्यूज़ीलैंड में रह रहे हैं, तो आपका नामांकन ज़रूरी है।

नामांकन जल्द दर्ज करें ताकि मतदान करना आसान और तेज़ हो

अगर आप रविवार 13 सितंबर तक अपना नामांकन भर देते हैं, तो चुनाव वाले दिन से लगभग 2 हफ़्ते पहले, डाक के ज़रिए आपको अपना EasyVote पैक मिल जाएगा।

आपके EasyVote पैक से पता चलेगा कि आपको कब और कहाँ मतदान करना है और आप अपना वोट किसी को भी दे सकते हैं। आपके पैक में आपका अपना EasyVote कार्ड भी शामिल होगा, जो मतदान को तेज़ और आसान बनाता है।

आप चुनाव वाले दिन सहित 13 सितंबर के बाद नामांकन करवा सकते हैं, लेकिन आपको अपना EasyVote कार्ड नहीं मिलेगा। आपको एक खास वोट भी डालना होगा जिसकी प्रक्रिया में ज़्यादा समय लगता है।

ऑनलाइन नामांकन, जाँच या विवरण अपडेट करें

अपने न्यूज़ीलैंड ड्राइवर लाइसेंस, न्यूज़ीलैंड पासपोर्ट या RealMe सत्यापित पहचान के इस्तेमाल से आप अपने विवरण का ऑनलाइन नामांकन, जाँच या उसे अपडेट आसानी से करवा सकते हैं। **vote.nz** पर जाएँ

आप 3 अक्टूबर से किसी भी मतदान केंद्र में नामांकन करवा सकते हैं या नीचे बताए गए तरीकों से नामांकन फ़ॉर्म माँग सकते हैं:

- **0800 36 76 56 पर कॉल करें**
- **निःशुल्क टेक्स्ट द्वारा अपना नाम और पता 3676 पर भेजें।**

मतदान जल्दी करें

2020 का आम चुनाव और जनमत संग्रह अब शनिवार 17 अक्टूबर को होगा। जल्दी मतदान करके आप लाइन में इंतज़ार करने के समय को घटा सकते हैं - आपको चुनाव वाले दिन तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है।

मतदान शुरू: शनिवार 3 अक्टूबर सुबह 9 बजे शुरू होगा

मतदान बंद: चुनाव वाले दिन शाम 7 बजे, शनिवार, 17 अक्टूबर को बंद हो जाएगा

हो सके तो स्थानीय रूप से मतदान करें

अपने घर के पास से मतदान करना आसान और तेज़ होता है। आप आओटियारोआ में किसी भी मतदान केंद्र से मतदान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से मतदान करते हैं तो आपको एक अतिरिक्त फ़ॉर्म भरना पड़ सकता है।

मतदान केंद्र कब खुलेंगे और वे कहाँ हैं

आप आम चुनाव और जनमत संग्रह में किसी भी मतदान केंद्र पर शनिवार 3 अक्टूबर से चुनाव के दिन शनिवार 17 अक्टूबर तक अपना नामांकन करा सकते हैं और मतदान कर सकते हैं।

चुनाव के दिन सभी मतदान केंद्र, शनिवार 17 अक्टूबर को, सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक खुले रहेंगे।

मतदान केंद्र कहाँ हैं और उनके खुलने के समय की जानकारी **vote.nz** पर उपलब्ध है या **0800 36 76 56** पर कॉल करके भी ये जानकारी पा सकते हैं।

आप दो जनमत संग्रह पर मतदान कर सकते हैं

इस साल के आम चुनाव में आप दो जनमत संग्रह पर मतदान कर सकते हैं। जनमत संग्रह, सवाल पर अपनी राय (मत) देना होता है।

आप इस बात पर मतदान कर सकते हैं कि क्या End of Life Choice Act 2019 लागू होना चाहिए ताकि मरणांतक बीमारी (टर्मिनल इलनेस) से पीड़ित लोगों को मरने में मदद पाने का विकल्प मिल सके। आप इस पर भी मतदान कर सकते हैं कि भाँग (कैनेबिस) का मनोरंजक इस्तेमाल कानूनी हो जाना चाहिए या नहीं।

referendums.govt.nz पर जनमत संग्रह के बारे में ज़्यादा जानें

नामांकन और मतदान करने के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए:

- **vote.nz** पर जाएँ
- **0800 36 76 56** पर कॉल करें
- **facebook.com/voteNZ** पर जाएँ

अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके किसी परिचित के लिए सहायक हो सकती है, तो कृपया उन्हें इसके बारे में बताएँ।

नामांकन और मतदान की जानकारी **vote.nz** पर अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है

मतदान कैसे कर सकते हैं

1 अपनी कलम (पेन) और अपना EasyVote कार्ड साथ ले जाएँ

आप अपनी कलम से मतदान पत्रों को चिन्हित कर सकते हैं। चिंता न करें अगर आप कलम ले जाना भूल जाते हैं क्योंकि वहाँ कलम उपलब्ध होंगे।

EasyVote कार्ड साथ ले जाएँ ताकि आपको मतदान देने में ज़्यादा समय न लगे। कार्ड भूलने या न होने पर भी आप मतदान कर सकते हैं।

2 सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें

मतदान पत्र लेने से पहले, हाथों को सैनिटाइज़र से साफ़ करें।

3 निर्देशों की पालन करें

मतदान केंद्र पर चुनाव कार्यकर्ता आपको बताएँगे कि कहाँ जाना है और क्या करना है। लाइन में खड़े मतदाताओं के लिए ज़रूरी दूरी बनाए रखने का भी प्रबंध करते हैं।

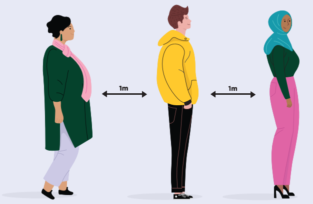

4 आम चुनाव में मतदान करें

आम चुनाव में आपको दो मत मिलते हैं - एक पार्टी का मत और एक निर्वाचन-क्षेत्र का मत।

आपका पार्टी मत

संसद में प्रत्येक राजनैतिक दल को मिलने वाली सीटों की संख्या काफ़ी हद तक दल के मिले मत से तय होती है। जिन पार्टियों को ज़्यादा मत मिले हैं उन्हें संसद में ज़्यादा सीटें मिलेंगी।

आपको राजनैतिक दलों की एक ही सूची में से चुनना होगा चाहे आपका नाम सामान्य सूची में दर्ज हैं या माओरी सूची में।

अपने मतदान पत्र में उस राजनैतिक पार्टी के नाम के आगे चिन्ह लगाएँ जिसे आप चुनना चाहते हैं।

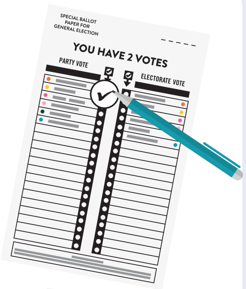

आपका निर्वाचन-क्षेत्र मत

आपका निर्वाचन-क्षेत्र का वोट उस उम्मीदवार को चुनने के लिए होता है जिसे आप अपने क्षेत्र का सांसद (MP) बनाना चाहते हैं। आपके निर्वाचन -क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे, वही आपका सांसद बनता है।

अगर आपका नाम माओरी सूची में है तो, आप माओरी चुनाव के उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे। अगर आपका नाम आम सूची में है तो, आप आम चुनाव के उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे।

अपने मतदान पत्र पर उस उम्मीदवार के नाम पर, एक चिन्ह लगाएँ जिससे आप अपने स्थानीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करवाना चाहते हैं।

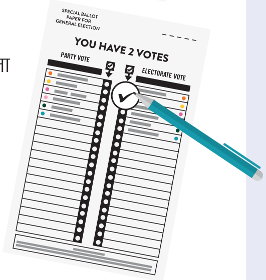

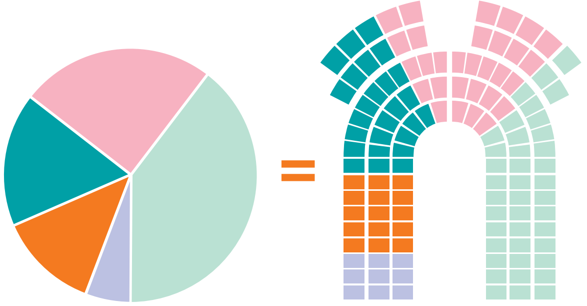

पार्टी के वोट का अनुपात =
संसद में मिलने वाली सीटों के अनुपात के बराबर है

5 जनमत संग्रह में मतदान करें

जनमत संग्रह के मतदान पत्रों पर, मतदान करने के लिए जनमत संग्रह से जुड़े सवालों के जवाब देकर करें। 'Yes' ('हाँ') या 'No' (नहीं) के सामने चिन्ह लगाएँ।

जनमत संग्रह में मतदान करना वैकल्पिक है। अगर आप चाहें तो सिर्फ़ एक जनमत संग्रह में मतदान कर सकते हैं।

6 अपना मतदान पत्र, उपलब्ध मतदान पेटी में डालें

7 जाने से पहले, हाथों को सैनिटाइज़र से ज़रूर साफ़ करें

बाहर निकलते हुए, हाथों को सैनिटाइज़र से ज़रूर साफ़ करें। और बस - मतदान हो गया!

मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते?

अगर मतदान केंद्र जाना मुश्किल या असंभव है तो, ऐसे और कई विकल्प उपलब्ध हैं जिनकी मदद से आप मतदान में हिस्सा ले सकते हैं।

अगर आप विश्राम गृह में हैं और आप मतदान केंद्र नहीं जा सकते, तो, आपका स्थानीय रिटर्निंग अफ़सर आपके आराम-घर के प्रबंधक से संपर्क साधकर आपके लिए मतदान सेवाओं का प्रबंध करेगा।

अगर आप अस्पताल में होने की वजह से मतदान केंद्र नहीं जा सकते तो, 3 अक्टूबर से, आपका कोई दोस्त या परिवार जन आपके लिए मतदान पत्र ला सकते हैं।

अगर आप बीमारी या किसी तरह से शारीरिक अक्षमता की वजह से मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं, तो आपको मतदान करने के लिए मदद मिल सकती है। **vote.nz** पर ज़्यादा जानकारी पाएँ या अपने विकल्प जानने के लिए **0800 36 76 56** कॉल करें।

विदेश से मतदान करना

आप बुधवार 30 सितंबर शाम 7 बजे से लेकर शनिवार 17 अक्टूबर (NZ समय) तक एनरोल (नामांकन) और मतदान कर सकते हैं।

विदेशों से मतदान करने का सबसे आसान और तेज़ तरीका है **vote.nz** पर जाकर आम चुनाव और जनमत संग्रह के मतदान पत्रों को डाउनलोड करें और छापें (प्रिंट)

आप विदेशी मतदान केंद्र पर जाकर भी मतदान कर सकते हैं या विदेश भेजे जाने वाले डाक मतदान पत्रों की माँग कर सकते हैं। ये विकल्प, आपके क्षेत्र में COVID-19 के हालत पर निर्भर करते हैं। विदेश से मतदान करने से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए **vote.nz** पर जाएँ।

अगर आपको विदेश से मतदान करने के लिए मदद चाहिए तो, कृपया हमसे संपर्क करें।

विदेश से फ़ोन करने के लिए: +64 9 909 4182 (अंतरराष्ट्रीय कॉल दर लागू हो सकती है)

न्यूज़ीलैंड से फ़ोन करने के लिए: 0800 36 76 56

क्या आपको मतदान पत्रों को पढ़ने और चिन्हित करने में मदद चाहिए?

कोई दोस्त, परिवार जन या मतदान अफ़सर, आपके मतदान पत्रों को पढ़ने और उन्हें चिन्हित करने में मदद कर सकता है। वह व्यक्ति ऐसा कर सकता है:

- आपके साथ मतदान स्क्रीन के पीछे जाए
- मतदान पत्रों में लिखे शब्द और जानकारी आपको पढ़कर सुनाए
- आपके पूछने पर ही मतदान पत्रों को चिन्हित करे।

वे आप पर इस बात का दबाव नहीं डाल सकते कि आम चुनाव में आपको किसके लिए मतदान करना चाहिए या जनमत-संग्रह (रेफ़रेंडम) में आपको किस तरह से मतदान करना चाहिए।

अगर आप नेत्रहीन हैं, आंशिक रूप से नेत्रहीन हैं या आप किसी तरह से शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त हैं, यानी आप बिना मदद के अपने मतदान पत्र पर चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, तो आप फ़ोन डिक्टेशन सेवा का इस्तेमाल करके मतदान कर सकते हैं।

इस सेवा को इस्तेमाल करने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। विकल्प 1 चुनकर रजिस्टर करने के लिए **0800 028 028** पर कॉल करें।

आप सोमवार 14 सितंबर से शाम 7 बजे तक गुरुवार 15 अक्टूबर तक रजिस्टर (पंजीकरण) कर सकते हैं.

इस सेवा के बारे में ज़्यादा जानने के लिए **vote.nz** पर जाएँ।